रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1119/2025/1809/22-2-2023-17(420)/2018
लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भवानी शंकर (बन्दी संख्या-169/2014) पुत्र श्री छत्रपति, निवासी ग्राम-बरौलिया, थाना-रामनगर, जनपद-बाराबंकी, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-203/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-02, बाराबंकी के दण्डादेश दिनांक 30.01.1984 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 16.05.2013 द्वारा सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.10.2022 तक अपरिहार 09 वर्ष, 03 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 10 माह, 27 दिन की सजा भोगी गयी है, सन्तोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1119/2025/1809(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
3- पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in